# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 79 / 2025
निर्णय दिनांक: 20.08.2025
दायरा दिनांक: 16.05.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 152

1. नथीदेवी पत्नी पूरणाराम जाति जाट निवासिनी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थिनी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

**उपस्थित:–**

1. **श्री राजकुमार चायल व श्री विरेन्द्र पारीक अधिवक्ता प्रार्थिनी।**
2. **अप्रार्थी राजपैरोकार।**

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीनी के खातेदारी में तहसील सुजानगढ़ के रोही ग्राम ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ के खसरा नम्बर 329 तादादी 1.5806 है0, ख0नं0 676 / 209 तादादी 2.1875 है0 एवं खसरा नम्बर 681 / 316 तादादी 0.4425 है0, कुल किता तीन कुल तादादी 4.2106 है0 हिस्सा 1 / 4 दर्ज स्थित है। प्रार्थिनी का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मघी देवी पत्नी पूर्णमल जाति जाट निवासी खारिया बड़ा अंकित है। जबकि प्रार्थिनी का सही व वास्तविक नाम नथी देवी पत्नी पूर्णाराम जाति जाट निवासिनी खारिया बड़ा है। समस्त अन्य दस्तावेजों यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, जॉब कार्ड आदि में भी प्रार्थिनी का सही नाम नथीदेवी ही दर्ज है।

प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में प्रार्थिनी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थिनी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्राथिनी का नाम मधीदेवी पत्नी पूर्णमल दर्ज है। जबकि प्रार्थीनी के दस्तावेजों में नाम है। अतः प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मधीदेवी पत्नी पूर्णमल के स्थान पर नथीदेवी पत्नी पूरणाराम किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जोब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी प्रार्थिनी का नाम नथीदेवी पत्नी पूरणा राम में अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

**–ःआदेशः–**

प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम खारिया बड़ा के खाता संख्या 240 खसरा नम्बर 329 तादादी 1.5806 है0, 676/209 रकबा 2.1875 है0 एवं 681/316 रकबा 0.4425 कुल किता तीन कुल तादादी 4.2106 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदार मघी देवी पत्नी पूर्णमल के स्थान पर नथीदेवी पत्नी पुरणा राम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़